IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक 2822 / / दिनांक 20/11/2020

स्वीकृति द्वितीय चरण (अनन्तिम)

सेवा में,

श्री राकेश कोलाडिया (अधिकृत हस्ताक्षरी)
जैम सस्टेनेबल हाउसिंग एल0एल0पी0,
सी-1103, प्रथम-बी/एच0, केशवबाग,
पार्टी प्लाट, प्रथम एवेन्यू रोड,
132 फिट रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद।

विषय- परिषद के अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर-5 में भूखण्ड सं0-5/जी0एच0-04 में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उ०प्र० आवास विकास परिषद के पूर्व पत्रांक-1350/वा०नि०-4 दि0 19-06-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपको प्रथम चरण में मानचित्रों की अनन्तिम स्वीकृति सशर्त प्रदान की गयी थी।

वर्तमान में अभिलेखों के अनुसार पूर्व प्रेषित 07 शर्तों के सापेक्ष 05 शर्तों पर अपेक्षा पूर्ण कर दी गयी है तथा निम्न 02 शर्तो के सापेक्ष कार्यवाही अपेक्षित है:-

1. प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग से पत्र निर्गमन की तिथि से 3 माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष आर्कीटेक्ट से विस्तृत एस्टीमेट तैयार कराकर एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जिसके आधार पर तैयार एस्टीमेट के अनुसार निर्माण लागत का 01 प्रतिशत लेबर सेस जमा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

वांछित मानचित्र स्वीकृति शुल्क के भुगतान के संबंध में आवास विकास परिषद के निदेशक मण्डल की 251वीं बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में छूट प्रदान है।

तद्क्रम में संलग्न विवरण के अनुसार (Commencement) प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

Naman 20/11/20

(विकास कुमार)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0- 2822 / वा0नि0-4/ दिनांक-20/11/2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त के निजी सचिव, आवास आयुक्त(म0) के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता,अवध विहार वृत्त/अधी0अभि0 विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त, लखनऊ को बिन्दु सं0-2 के क्रम में अनुपालन हेतु।

Naman 20/11/20

वास्तुविद नियोजक

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभियुक्ति एवं कार्य प्रारम्भ (Commencement) प्रमाण पत्र

(भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2017) के परिशिष्ट-5 के अनुसार आवेदन)

प्रमाणित किया जाता है कि **जैम सस्टेनबल हाउसिंग एल एल पी** (आवेदक/फर्म का नाम) द्वारा अपने भूखण्ड/भवन सं0-**5/जी०एच०-04 सेक्टर-5, अवध विहार योजना** जिला-**लखनऊ** का ले-आउट/मानचित्र इस कार्यालय के स्वीकृति पत्र सं0- **1350/वा0नि0-4 दिनांक 19-06-2020** के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें दर्शायी गयी शर्तों के सापेक्ष आवेदक/फर्म द्वारा वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्यावरण एवं लेबर सेस विभाग को छोड़कर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गए हैं। जिसका परीक्षण **श्री प्रभावती सूरी (पदनाम) सहायक वास्तुविद नियोजक,(इकाई/कार्यालय का नाम)- वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-4,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा कर लिया गया है एवं परिषद द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। वांछित मानचित्र स्वीकृति शुल्क के भुगतान के संबंध में आवास विकास परिषद के निदेशक मण्डल की 251वीं बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में छूट प्रदान है।

अतः भू-संपदा (विनिमय और विकास) अधिनियम-2016 के प्रस्तर-11(घ) के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व (Commencement) प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग से पत्र निर्गमन की तिथि से 3 माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष आर्कीटैक्ट से विस्तृत एस्टीमेट तैयार कराकर एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जिसके आधार पर तैयार एस्टीमेट के अनुसार निर्माण लागत का 01 प्रतिशत लेबर सेस जमा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

हस्ताक्षरः- Namay 20/11/20

पदनामः- वास्तुविद नियोजक

कार्यालय की मुहरः- इकाई-4

दिनॉकः- 20 NOV 2020